रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-2/2025/2859/22-2-2023-17(673)/2023

लखनऊ : दिनांक:01 जनवरी, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगाठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत जारी गाइडलाइन के प्रस्तर-3(vi) में निहित प्राविधानों के अनुसार 15 अगस्त, 2023 (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर जिला कारागार, लखीमपुर खीरी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बलराम (सी0टी0नं0-142/19) पुत्र श्री सुन्दर, निवासी ग्राम-किशनपुर, थाना-मैलानी, जनपद-लखीमपुर खीरी, जिसे मुकदमा संख्या-1923-2017 में धारा-9,51(1-सी), 27,51(1-सी), 29,51(1-सी), 31,51(1-सी) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व धारा-26 भारतीय वन अधिनियम के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 27.04.2019 द्वारा बन्दी को 04 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा दिनांक 14.08.2023 तक 02 वर्ष 10 माह 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 03 वर्ष 03 माह 29 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण उत्तम है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए रूपये 50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2025/2859(1)/22-2-2023 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- अधीक्षक, जिला कारागार, लखीमपुर खीरी।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

विनोद कुमार द्विवेदी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।